रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, शनिवार, मई 6, 1972/वैशाख 16, 1894
No. 101] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 6, 1972/VAISAKHA 16, 1894

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

PUBLIC NOTICE

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 6th May 1972

SUBJECT.—*Issue of import licences for raw materials, components and spares to actual users (both in the large and small scale sector) engaged in industries other than priority industries for the period April 1971—March, 1972.*

No. 64-ITC(PN)/72.—Attention is invited to import policy for the grant of licences for import of raw materials, components and spares to actual users engaged in industries other than priority industries as contained in the Import Trade Control Policy (Red Book—Vol. I) for the period April 1971—March, 1972, according to which the actual users are eligible to the grant of import licences for the period April 1971—March 1972 after they have utilised their licences for the period 1970-71 upto the specified extent as indicated in the policy.

2. It has been decided that in the case of actual users to whom licence(s) for the period 1970-71 had been issued after 31st December, 1971, they will be considered eligible for grant of licence for raw materials, components and spares against their applications for the period 1971-72, if they utilise their licence(s) for 1970-71 upto the prescribed extent within a period of three months from the date of issue of the licence and their application for 1971-72 is otherwise in order and complete having been received before 1st April, 1972. If an applicant is unable to utilise the licence for 1970-71 within the time as indicated, his application for 1971-72 will be treated as for the period 1972-73 and dealt with accordingly, if the application is otherwise in order.

3. The items sought to be imported will in any case be scrutinised by the licensing authority with reference to the import policy in force at the time of issue of import licence.

M. M. SEN,
Chief Controller of Imports and Exports.

विदेश व्यापार मंत्रालय

सार्वजनिक सूचना

आयात और व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 6 मई, 1972

विषय : अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 के दौरान प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों में लगे हुये वास्तविक उपयोक्ताओं (बड़े तथा छोटे पैमाने क्षेत्र दोनों के) को कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के लिए आयात लाइसेंस जारी करना ।

संख्या 64—आई० टी० सी० (पी० एन०)/72.—प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों से भिन्न उद्योगों में लगे हुये वास्तविक उपयोक्ताओं को कच्चे माल, संघटकों और फालतू पुर्जों के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिये अप्रैल, 1971—मार्च, 1972, अवधि के लिये आयात व्यापार नियंत्रण नीति (रेड बुक वा० 1) में तथा निहित आयात नीति की ओर ध्यान आकृष्ट किया जाता है, जिसके अनुसार, नीति में यथा संकेतिक विशिष्टि कृत सीमा तक 19—10—71 की अवधि के लिये वास्तविक उपयोक्ताओं ने अपने लाइसेंसों का उपयोग कर लिया है, उसके बाद वे अप्रैल, 1971—मार्च, 1972 की अवधि के लिए आयात लाइसेंस दिए जाने के लिये पात्र हैं ।

2. यह निश्चय किया गया है कि उन वास्तविक उपयोक्ताओं के मामले में जिनको 31—12—1971 के बाद 1970—71 की अवधि के लिए लाइसेंस जारी किया गया था (थे), उनको 1971—72 की अवधि के लिये उनके आवेदनों पर कच्चे माल, संघटकों तथा फालतू पुर्जों के लिये लाइसेंस प्रदान किए जाने की पात्रता पर विचार किया जाएगा, बशर्ते कि 1970—71 के लिए अपने लाइसेंसों का उपयोग लाइसेंस जारी होने की तारीख से तीन मास की अवधि के भीतर निर्धारित सीमा तक कर लेते हैं और 1971—72 के लिए उनके आवेदन-पत्र अन्यथा रूप से सही

तथा पूर्ण रूप में 1-4-72 तक प्राप्त किए गए हैं। यदि एक आवेदक सांकेतिक समय के भीतर 1970-71 के लिए लाइसेंस का उपयोग करने में असमर्थ है, तो 1971-72 के लिए उसके आवेदन को यदि वह अन्यथारूप से ठीक है, तो 1972-73 के लिए समझा जाएगा और तदनुसार ही उस पर विचार किया जाएगा।

3. आयात किए जाने के लिए मांगी गयी मदों की जांच लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी करते समय--लागू आयात नीति के संदर्भ में की जायेगी।

एम० एम० सेन,
मुख्य नियंत्रक, आयात निर्यात।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972